सं. 4/27/2007-डीजीएडी
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
....

दिनांक 25 मार्च, 2009

<u>व्यापार नोटिस सं. 1/2009</u>

1. वर्ष 1995 में यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9 क तथा तत्संबंधी सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 7 की ओर व्यापार और उद्योग का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

2. दिनांक 28 अगस्त, 2000 के व्यापार नोटिस संख्या 2/2000 के क्रम में, पाटनरोधी जांचों के सभी हितबद्ध पक्षकारों को एक पाटनरोधी जांच में निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष "गोपनीय सूचना" प्रस्तुत करते समय निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करने का परामर्श दिया जाता हैः

   (i) पक्षकारों को प्राधिकारी के समक्ष प्रश्नावली उत्तर सहित कोई भी अनुरोध (परिशिष्ट/उनसे संबद्ध अनुबंधों सहित) प्रस्तुत करते समय, यदि उसके किसी भी भाग के संबंध में "गोपनीयता" का दावा किया गया है, तो उसके दो अलग-अलग सेट दाखिल करने होंगेः (क) गोपनीय चिन्हित करके (शीर्षकों, पृष्ठों की संख्या, क्रम सूची इत्यादि सहित) और (ख) दूसरे सेट पर अगोपनीय चिन्हित करके (शीर्षक, पृष्ठों की संख्या, क्रम सूची इत्यादि सहित)। इस प्रकार से चिन्हित किए बिना उसे अगोपनीय माना जाएगा।

   (ii) गोपनीय पाठ में ऐसी सभी सूचना शामिल होगी जो गोपनीय प्रकृति की है और/ अथवा अन्य सूचना, जिसे ऐसी सूचना प्रदान करने वाला, उसकी गोपनीयता का दावा करता हो। ऐसी सूचना के लिए, जिसे गोपनीय प्रकृति की होने का दावा किया गया है अथवा ऐसी सूचना, जिसकी गोपनीयता का अन्य कारणों से दावा किया गया है, सूचना प्रदाता को प्रदान की गई सूचना के साथ

एक उचित कारण सहित विवरण प्रदान करना होगा कि इसे प्रकट क्यों नहीं किया जा सकता।

(iii) अगोपनीय पाठ गोपनीय पाठ की ऐसी प्रतिकृति होनी चाहिए जिसमें गोपनीय सूचना सूचीबद्ध हो अथवा रिक्त छोड़ी गई हो (यदि सूचीबद्ध किया जाना व्यावहारिक नहीं हो) और सूचना की गोपनीयता के दावे के आधार पर सारबद्ध की गई हो। अगोपनीय सार में पर्याप्त ब्यौरे हों, जिनसे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना के सार को समुचित रूप समझा जा सके। तथापि, अपवाद की स्थिति में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह दर्शा सकता है कि ऐसी सूचना का सार अतिसंवेदनशील है, कारण बताते हुए एक विवरण कि क्यों सार बनाना संभव नहीं है, यह सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार प्रदान की जाएं।

(iv) उपरोक्त अपेक्षाओं की पूर्ति हो जाने के बाद, निर्दिष्ट प्राधिकारी हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रस्तुत सूचना की प्रकृति की जांच किए जाने पर गोपनीयता के दावे को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं।

(v) यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता के लिए अनुरोध अकारण है और यदि सूचना का आपूर्तिकर्ता सूचना को सार्वजनिक करने अथवा इसको प्रकट करने के लिए सामान्य अथवा सार रूप में प्रकट करने के लिए अधिकृत करने के लिए इच्छुक नहीं है तो ऐसी सूचना की अपेक्षा कर सकते हैं।

(vi) किसी सार्थक अगोपनीय पाठ के बिना अथवा गोपनीयता के दावे के संबंध में उचित कारण सहित विवरण के बिना प्रस्तुत की गई कोई भी सूचना प्राधिकारी द्वारा रिकार्ड में नहीं ली जाएगी।

(vii) निर्दिष्ट प्राधिकारी संतुष्ट होने पर और दी गई सूचना की गोपनीयता की जरूरत को स्वीकार करने पर इसे सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार के किसी विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को प्रकट नहीं करेंगे।

(viii) सार्वजनिक सुनवाई के दौरान, यदि कोई भी हितबद्ध पक्षकार कोई दस्तावेज/उसकी कागजी प्रति को परिचालित करने का इच्छुक हो तो उसे सभी प्रतिभागियों को उपलब्ध कराया जाएगा। तथापि, यदि कोई हितबद्ध पक्षकार

सार्वजनिक सुनवाई के दौरान गोपनीय आधार पर कुछ सूचना प्रस्तुत/पेश करने का इच्छुक हो तो उस सूचना और उसके साथ अगोपनीय पाठ (एनसीवी) को ऐसी सुनवाई के कम से कम तीन दिन पूर्व निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसी सूचना का अगोपनीय पाठ (एनसीवी) उस गोपनीय पाठ (सीवी) का एक सार्थक सार प्रदान करेंगे। यदि विनिर्दिष्ट अवधि से पूर्व ऐसी एनसीवी प्रदान नहीं की जाती तो हितबद्ध पक्षकार को सार्वजनिक सुनवाई में ऐसा कागजात प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।

3. उपरोक्त प्रक्रिया गोपनीयता के संबंध में निदेशालय द्वारा जारी सभी पूर्व अनुदेशों अथवा व्यापार नोटिस तथा इस निदेशालय के प्रकाशनों का अधिक्रमण करेगी।

(नीरज कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव
कृते निर्दिष्ट प्राधिकारी

सेवा में

सभी संबंधित
(सूची के अनुसार)